कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा ।

पत्रांकः सीएफओ/एन/एएलएम/2023(13) दिनांक : अप्रैल 15 ,2024

स्वामी/प्रबन्धक
स्प्रिंग डेल्स स्कूल
अल्मोडा।

विषयः— **अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।**

आपके संचालनपूर्व प्रार्थनापत्र ए0 यू0 आई0 डी0 नम्बर —38771460, दिनांक 15—03—2024 जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है , के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोडा द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी अल्मोडा की संस्तुति निरीक्षण रिपार्ट दिनांक 28.03.2024 के अनुसार जिसमें अग्निशमन सुरक्षा हेतु सीओटू टाईप 4.5 कि0ग्रा0 06 अद्द, एबीसी टाईप के 04 कि0ग्रा0 के 28 अद्द व कुल 05 होज रील स्थापित है , निरीक्षण आख्या दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुसार भवन निर्माण मानचित्र/शासन द्वारा जारी भवन उपविधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है अग्निशमन दृष्टिकोण से भवन उपयुक्त पाया गया है जिस कारण भवन को अग्निशमन अनाापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है । अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये है। अग्निशमन सुरक्षा वयवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोडा की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर स्प्रिंग डेल्स स्कूल अल्मोडा को दिनांक 14 अप्रैल, 2024 से दिनांक 13 अप्रैल, 2027 तक अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आधार पर निर्गत किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय :—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय ।
2. स्कूल के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है ।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी । अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती । अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए ।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना , वैंटीलेशन , स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ,सैट बैक एरिया व निर्माण, **Land Use Change** में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिरकारी से कराया जाय ।

Jyotsna

Jyotsna Sohanlal
Principal
Spring Dales School
Almora Cantt., Almora

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोडा।